

16/4/26

पत्रां पेश हुवा जार्जी वकील अपन जार्जी वकील  
की एकतरफा बहस सुनी गये। रिकॉर्ड का  
अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया  
गया। अतः जार्जी का जार्जना पत्र स्वीकार  
किया जाकर विवादित आराजी खं नं.  
127, 116, 141, 142, 1736, 194 वाले पत्र  
गांगारौली की सम्मिलित करते हुए  
जारी शुदा स्वयं आदेश (के पूर्व के खं नं  
सहित) की दवा के निस्तारण तक अण्वीक्षण  
की पावंद करते हुए कन्फर्म किया जाता है।  
पत्रां फ़सल शुमार होकर नम्बरान से कम  
किया जाकर दारिजल दफ्तर हो। एवं  
मूल पाद-पत्र के साथ संलग्न की जावे।

